

रिपोर्ट पटवारी \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सत्य रही है। ग्राम रामपुरावास गोरे  
की खाता संख्या १५ में प्राथी का नाम गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि.  
दर्ज है जबकि प्राथी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि.  
दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्राथी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम रामपुरावास गोरे  
की खाता संख्या १५ में दर्ज नाम गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि.  
के बजाय सही इन्द्राज गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि. दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी [Signature] तहसील चाकसू जिला जयपुर  
मू-अभिलेख निरीक्षक [Signature]

**कार्यालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर**

मू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामपुरावास की  
जमाबन्दी की खाता संख्या १५ में दर्ज नाम गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि.  
के बजाय सही नाम गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि. दर्ज किया जाना पता झगडा  
उचित है। खोपी पत्नी रामचरण

[Signature]  
तहसीलदार (म.अ.)  
तहसील चाकसू (जयपुर)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर**

प्रकरण संख्या कैम्प/2023/54

तहसीलदार - चाकसू

दिनांक 22/06/23

**आदेश चाकसू**

प्राथी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार अर्ज़ीद की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों  
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रामपुरावास गोरे  
की जमाबन्दी की खाता संख्या १५ में दर्ज नाम/इन्द्राज गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि.  
के बजाय सही नाम/इन्द्राज गोपाल पप्पुलाल रमेशचन्द्र शंकरलाल पि. दर्ज करने  
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार अर्ज़ीद आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद कर पालना करें।

5922  
22/6/23

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

